प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
"चयन भवन" ,मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क ईस्ट॰ भोपाल 462011
फोन न.– .+91-755-2578801-02-03-04, Fax:.+91-755-2550498,
Complain: Peb.mp.gov.in, website: www.peb.mp.gov.in

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग म. प्र. भोपाल के अन्तर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (कार्यपालिक) पदो हेतु भर्ती परीक्षा-2020

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन-पत्र			
आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि : 10.11.2020		आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि : 24.11.2020	
आवेदन पत्र मे संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 10.11.2020		आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 29.11.2020	
परीक्षा दिनांक व दिन		**10-13 फरवरी 2021**	
परीक्षा शुल्क			
सीधी भर्ती /सीधी संविदा पदो हेतु	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये		रू. 500/- (प्रति प्रश्न पत्र)
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियो के लिये)		रू. 250/- (प्रति प्रश्न पत्र)
सीधी भर्ती - बैकलॉग			कोई शुल्क नहीं
ऑनलाईन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपीआनलाईन का पोर्टल शुल्क रूपये 60/- देय होगा । इसके अतिरिक्त रस्टिर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- रू. देय होगा ।			

आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	**परीक्षा की पाली**	**अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय**	**महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय**	**उत्तर अंकित का समय**
10-13 फरवरी 2021	**प्रथम (वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी)**	**प्रातः 7:00 से 8:00 बजे तक**	08:50 **से** 09:00 **बजे तक** (10 **मिनट**)	**प्रातः** 09:00 **से** 12:00 **बजे तक** (3:00 **घंटे**)
	द्वितीय (ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी)	**दोपहर 12:00 से 1:00 बजे तक**	01:50 **से** 02:00 **बजे तक** (10 **मिनट**)	**प्रातः** 02:00 **से** 05:00 **बजे तक** (3:00 **घंटे**)

टिप्पणी :-

1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है ।
2. बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यु.आई.डी.ए.आई (UIDIA) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा । मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
3. अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड / ई-आधार कार्ड / आधार कार्ड की छायाप्रति /आधार नंबर /आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य हैं |
4. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिकसत्यापन अनिवार्य है ।
5. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोटिंग समय तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी । इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यथियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
6. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णत: वर्जित है।
7. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अत: आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।

8. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है

9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोडने की अनुमति नहीं होगी ।

10. आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण पी.ई.बी .द्वारा नहीं किया जाता हैं | अत : कम्प्युटर आधारित online परीक्षा मे उम्मीदवारो की पात्रता(Eligibility) पूर्णत प्रावधिक (Provisional) होगी |

11. उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।

12. विभाग के पद कार्यपालिक होने की स्थिति में भर्ती हेतु आदिम जनजाति, (बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया) के अभ्यर्थियों को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा वे अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु आनलाईन आवेदन करें। (ऐसी स्थित में नियम पुस्तिका की बैगा,सहारिया एवं भारिया से संबंधित सभी कण्डिकायें विलोपित मान्य होगी ।)

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल, म0प्र0

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल - 462011

फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498

Complain: Peb.mp.gov.in वेबसाईट : www.peb.mp.gov.in

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग म. प्र. भोपाल के अन्तर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (कार्यपालिक) पदो हेतु भर्ती परीक्षा-2020

विषय-सूची

स.क्रं.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1	**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग म. प्र. भोपाल के अन्तर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (कार्यपालिक) पदो हेतु भर्ती परीक्षा-2020**	**04-14**
2.	2	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली	**15-31**
3	3	परीक्षा का पाठ्यक्रम	**32-34**
4.	**प्रारूप**-1	प्रश्नों/आदर्श उत्तरो पर आपप्ति हेतु अभ्यावेदन	**35**
5	**प्रारूप**-2	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी पत्रक	**36**
6	**प्रारूप**-3	यात्रा देयक प्राप्ति के लिये स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक	**37**

अध्याय - 01

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग म. प्र. भोपाल

विभागीय नियम

1.1 सामान्य :-

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग म. प्र. भोपाल, के पत्र क्र. अ-3:अ/स्था./ ग्रा.कृ.वि.अ./23-2018/664 भोपाल दिनांक 05/03:2020 एवं अ-3:अ यू.डी./27/2007/335 भोपाल दिनांक 01/02/2020 **के अनुसार तृतिय श्रेणी** के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु भर्ती परीक्षा-2020 **के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों पर यह नियम लागू होंगे।**

1.2 परिभाषायें :-

(अ) **इन निर्देशों में श्रेणी से तात्पर्य पांच श्रेणियों अनारक्षित**, **ई.डब्लू.एस अनुसूचित जाति**, **अनुसूचित जनजाति**, **अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा।**

(ब) **''विभाग'' से अभिप्रेत है - किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग म. प्र. भोपाल**

(स) **''बोर्ड'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोड**, **भोपाल से है।**

(द) **''म.प्र.'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश है।**

1.3 पदनाम**,** वेतनमान तथा शैक्षणिक योग्यता :-

आरक्षण तालिका

सीधी भर्ती - वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (कार्यपालिक)- कुल 58 पद

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	द्रियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	09	05	01	00	15	नि:शक्तजनों की कुल 04 रिक्तियों में से 01 VH 01 EH 01 LD एवं 01 MD नि:शक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का नि:शक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा । यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्लू.एस.	03	02	01	00	06	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	05	03	01	00	09	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	07	04	01	00	12	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	09	05	02	00	16	
	योग	33	19	06	00	58	

वेतनमान - 36200-114800 सातवॉं वेतनमान 9300-34800+3600 (समकक्ष छठा वेतनमान)

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कृषि या संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या कृषि इंजीन्यरिंग में स्नातक ।

सीधी भर्ती - वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी(कार्यपालिक)- कुल 14 पद (संविदा कर्मी के लिए 20 प्रतिशत सा.प्र. विभाग के आदेश क्र. 5-2/2018/1/3 दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार आरक्षित)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	03	01	00	00	04	नि:शक्तजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 01 EH नि:शक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का नि:शक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा । यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्लू.एस.	01	00	00	00	01	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	01	01	00	00	02	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	02	01	00	00	03	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	03	01	00	00	04	
	योग	10	04	00	00	14	

वेतनमान - 36200-114800 सातवाँ वेतनमान9300-34800+3600 (समकक्ष छठा वेतनमान)

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालयसे कृषि या संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या कृषि इंजीन्यरिंग में स्नातक ।

आरक्षण तालिका

सीधी भर्ती - ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (कार्यपालिक)- - कुल 614 पद

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	दिव्यांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1.	अनारक्षित (UR)	94	55	11	06	166	नि:शक्तजनों की कुल 37 रिक्तियों में से 09 VH 10 EH 09 LD एवं 09 MD नि:शक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का नि:शक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा । यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ ओपन रिक्तियों में समाहित है ।
2.	ई.डब्लू.एस.	35	20	04	02	61	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	56	32	07	03	98	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	70	41	08	04	123	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	94	55	11	06	166	
	योग	349	203	41	21	614	

वेतनमान - 5200-20200 +2400 पुनरीक्षित सातवाँ वेतनमान 25300-80500

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालयसे कृषि या उद्यानिकी में स्नातक उपाधि

सीधी भर्ती - ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (कार्यपालिक)- कुल 153 पद (संविदा कर्मी के लिए 20 प्रतिशत सा.प्र. विभाग के आदेश क्र. 5-2/2018/1/3 दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार आरक्षित)

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	द्रियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		नि:शक्तजनों की कुल 09 रिक्तियों में से 02 VH 03 EH 02 LD एवं 02 MD नि:शक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का नि:शक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा । यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ ओपन रिक्तियों में समाहित है।
1.	अनारक्षित (UR)	24	14	03	01	42	
2.	ई.डब्लू.एस.	09	05	01	00	15	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	14	08	01	01	24	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	18	10	02	01	31	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	23	14	03	01	41	
	योग	88	51	10	04	153	

वेतनमान - 5200-20200 + 2400 पुनरीक्षित सातवॉं वेतनमान 25300-80500

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कृषि या उद्यानिकी में स्नातक उपाधि

बैकलांग भर्ती - ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (कार्यपालिक)- कुल 24 पद

सक्र.	श्रेणी	निल		भूतपूर्व सैनिक		योग	द्रियांग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला		नि:शक्तजनों की कुल 01 रिक्तियों में से 00 VH 01 EH 00 LD एवं 00 MD नि:शक्तजन के लिये आरक्षित है । जिस श्रेणी का नि:शक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा । यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ ओपन रिक्तियों में समाहित है।
1.	अनारक्षित (UR)	00	00	00	00	00	
2.	ई.डब्लू.एस.	00	00	00	00	00	
2.	अनुसूचित जाति (SC)	00	00	00	00	00	
3.	अनुसूचित जनजाति (ST)	14	08	01	01	24	
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	00	00	00	00	00	
	योग	14	08	01	01	24	

वेतनमान - 5200-20200 पुनरीक्षित सातवॉं वेतनमान 25300-80500

शैक्षणिक योग्यता -

मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालयसे कृषि या उद्यानिकी में स्नातक उपाधि

1.4 नागरिकता एवं स्थाई निवासी के संबंध में :-

(I) पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार :-

(क) भारत का नागरिक हो।

(ख) नेपाल का नागरिक हो।

(ग) यदि (ख) हो तो म.प्र. सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के लागू नियम में अंतर्गत प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है।

नोट:- किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्याधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा म.प्र. सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 के अनुसार उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण-पत्र अंतत जारी कर दिया गया हो।

(II) ऐसा अभ्यथी मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी नहीं है, सिर्फ अनारक्षित/ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर करते है । ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा ।

1.5. आरक्षण -

1.5.1 मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों एवं मध्यप्रदेश राजपत्र 530 दिनांक 24 दिसम्बर 2019 के अनुसार, अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत (वर्टीकल) आरक्षण लागू होगा -

अनुसूचित जनजाति	-	20 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	-	16 प्रतिशत
अन्य पिछड़े वर्ग	-	27 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	-	10 प्रतिशत

परन्तु जिला स्तर के पदों पर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा।

1.5.2 क्षैतिज आरक्षण -

(क) मध्यप्रदेश राजपत्र(असाधारण) क्र 454 दिनांक 17 नवम्बर 2015 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 नियम 3 में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया गया है :-

किन्ही सेवा नियमों में, किसी बात के होते हुए भी, राज्य के अधीन सेवा में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर समस्त पदों के (वन विभाग को छोड़कर) तैंतीस (33 प्रतिशत) प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगे तथा उक्त आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (होरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंटवाइज) होगा ।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल, के आदेश क्र.एफ 8/4/2001/आप्र/एक(पार्ट)भोपाल, दिनांक 03/07/2018 के अनुसार दिव्यांगजन को दिव्याजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 तथा मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 12 के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापन में सीधी भर्ती के प्रक्रम में भरे जाने वाले द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणीकी लोक सेवाओं एवं पदों में दिव्यांगों के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण निम्नानुसार किया गया है :-

1.	दृष्टिबाधित और कमदृष्टि,	(VH)	1.5 प्रतिशत
2.	बहरे और कम सुनने वाले,	(EH)	1.5 प्रतिशत
3.	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	(LD)	1.5 प्रतिशत
4.	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	(MD)	1.5 प्रतिशत

परन्तु यह आरक्षण संबंधित विभाग द्वारा नि:शक्त या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचाने और चिन्हित किए गए पदों के लिए दिया जाएगा।

(ग) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में आरक्षण) नियम, 1985 के अनुसार क्रमश: तृतीय श्रेणी, के लिए 10 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्राप्त होगा।

1.5.3 (क) समस्त प्रकार के आरक्षित प्रवर्गों की गणना तथा अध्यपेक्षा के प्रारूप में ऐसे आरक्षित पदों के ब्यौरों का उल्लेख करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग पर होगा। मण्डल द्वारा पदों की संख्या की गणना नहीं की जाएगी यदि गणना में कोई त्रुटि पाई जाती है तो मण्डल इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(ख) शारीरिक रूप से विकलांग या नि:शक्त अभ्यर्थियों में नि:शक्तता की प्रतिशतता का सत्यापन चिकित्सीय बोर्ड द्वारा किया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों की दशा में निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड मध्यप्रदेश द्वारा किया जाएगा और सत्यापन की प्रक्रिया विभाग/विभागाध्यक्ष/संस्था द्वारा ही की जाएगी मण्डल द्वारा नहीं।

(ग) उपरोक्त सभी प्रकार के आरक्षण के संबंध में आरक्षित प्रवर्गों को विभिन्न प्रकार की छूट/शिथिलता इस निमित्त लागू अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार दी जाएगी

(घ) परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व सीधी भर्ती में आरक्षण के संबंध में यदि म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है तो नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा ।

1.6 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक सी 5-2/2018/1/3 भोपाल, दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार राज्य शासन के विभिन्न विभागों में संविदा पर नियुक्ति अधिकारियों/ कर्मचारियो को नियमित पदो पर नियुक्ति प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाने हेतु निम्नानुसार दिश निर्देश जारी किए जाते है, संविदा अधिकारियों/कर्मचारियो का आशय है वर्तमान अथवा पूर्व में संविदापर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी :-

1.6.1 प्रत्येक विभाग के भर्ती किए जाने वाले पदों में 20 प्रतिशतपद संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आरक्षित रहेंगे, किन्तु इस नीति के अतंर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने (joining) उपरांत पुन :लाभ की पात्रता नहीं होगी ।

1.6.2 इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न संविदा सेवक पात्र होंगे :-

1.6.3 सीधी भर्ती का रिक्त पद जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी में आवेदक न्यूनतम 05 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो । 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पदों पर आवेदन करने के दिनांक को पूर्ण होना चाहिए । इस आशय का प्रमाण-पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा । यह प्रमाण-पत्र यथा स्थिति जिला स्तर पर अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा ।

1.6.4 सेवा-नियमों में प्रश्नाधीन नियमित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तथा अन्य सुसंगत अनुभव जो वॉछित है, उन्हें वह पूर्ण करता हो ।

1.6.5 यदि किसी संविदा सेवक ने विभिन्न पदों पर कार्य किया है तो उसकी कुल संविदा सेवा 05 वर्ष की होना चाहिए । अगर उसने विभिन्न श्रेणी के पदो पर संविदापर कार्य किया है

तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा जो इस 05 वर्ष में निम्नतम श्रेणी का था।

1.6.6 अगर किसी शासकीय सेवक को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुन: उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदापर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 05 वर्ष की संविदा सेवा की अवधिकी गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी।

1.6.7 किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्ति सेवक अन्य किसी भी विभाग के द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा जिसके लिए वह अर्हता रखता हो यह आवश्यक नहीं है कि जिस विभाग में संविदा पर सेवक नियुक्त है उसी विभाग में उसे नियमित किए जाने के अवसर दिए जाएं।

1.6.8 राज्य शासन में नियमित नियुक्ति होने पर उन्हे पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।

1.6.9 संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित किए गए सीधी भर्ती के नियमित पदों पर पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से चयन होगा। इस चयन प्रक्रिया में नियुक्तिकर्ता विभाग द्वारा न्यूनतम कटऑफ अंक निर्धारित किए जाएंगे।

1.6.10 संविदा सेवक एक अथवा उससे अधिक श्रेणी के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। इेसी स्थिति में जिस श्रेणी के नियमित पद पर वह नियुक्ति का आवेदनकरता है उसके समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदापरपर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा में मिलेगी। यह छूट सहित अधिकतम आयु आवेदन दिनांक अथवा पद की भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

1.6.11 नियुक्ति की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग के आरक्षण नियमों का पालन होगा।

1.6.12 विभागों का इस नीति के अनुरूप अपना प्रशासकीय सेटअप तथा भर्ती नियमों में यथोचित परिवर्तन करने होंगे। यहाँ आवश्यक हो वहाँ भर्ती में प्रतिबंध से आवश्यक छुट भी प्राप्त की जावेगी। किसी विभाग द्वारा संविदा अधिकारियो/कर्मचारियों के संबंध में यदि कोई सुविधा पूर्व से प्रदत्त की जा रही हो तो वह यथावत् रख सकेगा।

1.7 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमाक 07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 22 नवम्बर, 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ई. डब्लू.एस.) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

1.8 आवेदन शुल्क -

आवेदन शुल्क का विनिश्चय बोर्ड की कार्यपालक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित होगा। शुल्क में छूट जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लागू हैं, मध्यप्रदेश के उन मूल निवासियों को ही लागू होगी जिन्हें सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का घोषित किया गया है :

परन्तु अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा

परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और क्रीमी लेयर मे आते हैं, आरक्षण के लाभ, आयु सीमा में छूट या इस प्रवर्ग के लिए किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

1.8.1 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा :-

(i) **अभ्यर्थी** की आयु की गणना 01 **जनवरी** 2020 से निर्धारित की जावेगी ।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं.सी-3-11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 एव **पत्र क्र./सी.**3-11/2012/3 **भोपाल दिनांक** 13 **जनवरी** 2016, में संशोधित आदेश क्र; सी 3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 **एवं सी** 3-8/2016/1/3 **भोपाल दिनांक** 04 **जूलाई** 2019 के अनुसार निम्न संवर्गो के अंतर्गत आने वाले अभ्यार्थियों की आयु सीमा की गणना निम्नानुसार है :-

क्र.	भर्ती का तरीका	लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय/ चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए
		न्यूनतम/ अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)
1	खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदो के लिए	**18 से 40**
	अनु.जा.ए अनु. जनजा. अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय / निगम/मण्डल/स्वशसी संस्था के कर्मचारियों / नगर सैनिक/ नि:शक्तजन/ महिलाओ (अनाराक्षित/आरक्षित) आदि के लिए	**18 से 45 (अधिकत्म आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)**

नोट:- सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।

1.8.2 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें :-

(क) आदिम जाति, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ग सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-10-85-3-1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में पॉच वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ख) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी-3-18- 85-3-1, दि. 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ग) किसी स्थिति में अधिकतम आयु 45 वर्ष (संविदाकर्मी को छोड कर) से अधिक नहीं होगी।

1.8.3 मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण :-

(क) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

(ख) ऐसे उम्मीदवार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

(ग) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 50-2532-(3) 80 दिनांक 12.02.1981 एवं क्रमांक एफ 8-1/06/आ0प्र0/एक दिनांक 12.06.2006 द्वारा सेवा योग्य नि:शक्तजनों को (न्यूनतम 40 प्रतिशत नि:शक्तता वाले शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्ति) निर्धारित आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।

स्पष्टीकरण :- शब्द "छटनी" किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छ: माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था ।

टीप- (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग-पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

(2) यदि कोई आवेदक **प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों में से** निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा। यह छूट निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा के अतिरिक्त होगी। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से (संविदा कर्मचारियों को छोड़ कर) अधिक नही होगी।

1.9 चयन का आधार :-

विभाग के पदों पर चयन हेतु मध्यप्रदेश प्रोफेशलन एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा केवल लिखित परीक्षा ली जावेगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के पृथक-पृथक प्रश्नो पत्रो हेतु 200 प्रश्नों, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का (कुल 200 अंक) व तीन घंटे की समयावधि का प्रश्न-पत्र हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में होगा। प्रश्न-पत्र के विस्तृत पाठ्यक्रम हेतु नियम पुस्तिका का अध्याय-2 देखें।

1.10 अर्हकारी अंक –

(1) बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होनें निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति,

अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत तक अंकों की छूट देते हुए 40 प्रतिशत न्यूनतम अर्हता अंक होंगे।

(2) इन नियमो के अधीन संचालित परीक्षा के परिणामों में, अर्हकारी सूची में केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही रखा जाएगा परंतु पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि -

(क) कोई विभाग/उपक्रम रिक्त पद के लिए बोर्ड से कोई मांग नहीं करता है ;

(ख) अभ्यर्थी का नाम मांगकर्ता विभाग/उपक्रम को भेज नहीं दिया जाता है;

(ग) अभ्यर्थी ने नियुक्ति के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित समस्त पात्रता को पूर्ण न कर लिया हो; और

(घ) विभाग ने अभ्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी न कर दिया हो।

1.11 प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची :-

मण्डल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रेणीवार/संवर्गवार पदों की संख्या के अनुसार मण्डल द्वारा प्रावीण्य व प्रतीक्षा सूची तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।

1.12 पारस्परिक वरीयता :

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची निर्धारित होगी, परन्तु दो व्यक्तियों के प्राप्तांक समान होने पर आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

1.13 सत्यापन/परीक्षण के समय आवश्यक प्रमाण-पत्रों का विवरण :-

1.13.1 स्थाई निवासी प्रमाण-पत्र :-

मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदकों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में नायब तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र धारक होना चाहिए।

1.13.2 जाति प्रमाण-पत्र :-

मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के पास अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।

1.13.3 संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को आरक्षण के लाभ हेतु न्यूनतम पांच वर्ष की संविदा सेवा का प्रमाण पत्र ।

1.13.4 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ई. डब्लू.एस. का प्रमाण पत्र ।

1.13.4 शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों को विभागीय नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

1.14 दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों का परीक्षण व चरित्र सत्यापन :

लिखित परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा जारी प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा चयन/ नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के पूर्व समस्त मूल दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों आदि का सत्यापन/परीक्षण संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।

विभाग द्वारा चाहे गए समस्त प्रपत्र/दस्तावेज/प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप अनुसार अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति/सत्यापन/परीक्षण के समय संबंधित विभागों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

1.15 अभ्यर्थिता/चयन के संबंध में निर्हर्ताएँ/जानकारी :-

(क) पररूपधारण (इम्परसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूपधारण कराया हो, कार्यवाही करने पर आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किये जायेंगे।

(ख) पुरूष/महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो।

(ग) कोई भी उम्मीदवार जिसके विरूद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में विचारित है अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है अथवा जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोषी ठहराया गया हो, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होगा।

(घ) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।

(ड) शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ्य न पाया जाये।

(च) फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो/सारभूत जानकारी छुपाई हो।

(छ) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात्, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।

1.16 नियुक्ति की शर्तें :

चयनित अभ्यर्थियों पर संबंधित विभाग के विभागीय नियम व नियुक्ति की शर्तें लागू होगी, जिनका उन्हें पालन करना होगा। नियुक्ति के पूर्व संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन कराया जायेगा तथा नियुक्ति के समय विभाग के नियमानुसार अनुबंध-पत्र का निष्पादन किया जावेगा।

1.17 यात्रा भत्ता का भुगतान :-

सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को, जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाणित किया गया हो, को परीक्षा केन्द्र में ही परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उनके यात्रा व्ययों की

प्रतिपूर्ति की जाएगी। आवेदन की अंतिम तारीख के पश्चात् आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की सूची यात्रा व्ययों का अनुमानित आधार पर निर्धारण करने के लिए संबंधित विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। यात्रा व्ययों के लिए हकदार होने की दृष्टि से अभ्यर्थी को सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना होगा जो स्वप्रमाणित होगा और जिसकी एक प्रति संलग्न करेगा तभी अभ्यर्थी को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(2) मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-2/2013/नियम/चार भोपाल दिनांक 29 जून 2015 के द्वारा परीक्षा एवं प्रशिक्षण के लिये आने वाले परीक्षार्थियों को यात्रा व्यय (विशेषत: आरक्षित श्रेणी के) का भुगतान केवल ई-भुगतान पद्धति से ही किये जाने के निर्देश दिये गये है । सभी अभ्यर्थी संलग्न **प्रारूप-3** में अपना बैंक खाता विवरण आवश्यक रूप से साथ लेकर आएं ।

1.18 म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासनविभाग के परिपत्र दिनांक सी. 3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के अनुसार वेतनमान न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत द्वितिय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतिय वर्ष 90 प्रतिशत स्टायपेंड देय वेतनमान परीविक्षा अवधि समाप्ती उपरांत देय होगा ।

1.18 **परीक्षा केन्द्र -**

परीक्षा केन्द्रो का निर्धारण पी.ई.बी. के माप दण्डों अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर किया गया जावेगा ।

1.20 न्यायिक क्षेत्राधिकार :-

इन विभागीय नियमों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में जवाबदेह संबंधित विभाग होगा तथा इसका न्याय क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर तक सीमित होगा।

अध्याय- 2

प्रोफेशनल एग्जामिनेश बोर्ड, भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश

खण्ड-अ

2.1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। **अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं का भलीभॉति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।**

(ii) **आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक सी-3-9/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 10/10/2016 के की कण्डिका क्रमांक 2 के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार भर्ती परीक्षा के पद संख्या एवं विभागों के नाम घटाये-बढाये जा सकेंगे ।

(iii) **अभ्यर्थी** अपनी प्राथमिकता उल्लेखित करते हुये एक से अधिक पद के लिए अपना विकल्प/अधिमान पदवार चिंहित कर सकेगा। आनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं विकल्पों के आधार पर ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

2 .2 (i) <u>आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये</u> ।

(ii) आवेदन पत्र भरने की तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।

(iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।

(v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

(vi) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने एवं तदनुसार परीक्षा में बैठने पर **अभ्यर्थी** की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

2.3 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

(i) बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश-पत्र।

(ii) काला बॉलप्वाइंट पेन। (उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर एवं अन्य लिखित कार्य हेतु ।)

(iii) फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र - मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, अधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंकसूची मय फोटोग्राफ, तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य। ई आधार मान्य नहीं है।

2.4 परीक्षा में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाईस यथा Scientific Calculator, Mobile Phone,Bluetooth Device, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales and whitener इत्यादि पूर्णत: वर्जित है।

2.5 लिखित परीक्षा में नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ नियमानुसार लागू होने पर :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 एवं पी ई बी के आदेश क्रमांक पी ई बी / प भोपाल दिनाक 2020 / 712 / 1- के आधार पर लिखित परीक्षा में नि 2020/02/05:शक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) नि:शक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से नि:शक्तजन परीक्षार्थी।

2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।

3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।

4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की किन्तु दृष्टिबाधित दिव्यांग अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय दोनों की | जावेगी सहाय | सुविधा प्रदान की जावेगीक अथवा प्रतिपूरक समय अथवा दोनों दृष्टिबाधित) की सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं (अभ्यर्थियों हेतु दिवस पूर्व 10 ई बी कार्यालय को परीक्षा प्रारंभ होने की दिनाक से शपथ पत्र सहित पी प्रस्तुत करनी होगी ताकि पी ई बी स्तर परनियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सकेआपरिहर्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में | त्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के स योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी |

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की शैक्षणिक अहर्ता | से एक स्तर नीचे का होना चाहिए (जो भी कम हो) प्रश्न पत्र के स्तर/ उदाहरण के लिए यदि परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता हायर सेकण्ड्री होना चाहिए ।

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे मिनिट की 30 अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
मिनिट की 30 घंटे 1अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(स) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों कापरीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जावेगा |

2.6 प्रवेश-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। **प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर पी.ई.बी. ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।**

2.7 परीक्षा प्रवेश-पत्र (Test Admit Card) :-

(i) नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा।

(ii) अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

(iii) परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, **बाये हाथ के अंगूठे का निशान** तथा हस्तलिपि (काले बाल पांईट पेन से) अंकित करना होगी।

(iv) प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

2.8 मूल्यांकन पद्धति :–

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

3.8 अ. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :-

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियॉ आहूत की जाती है तद्नुसार विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के आपत्तियुक्त प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :-

(i) प्रश्न की संरचना गलत हो।

(ii) उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।

(iii) कोई भी विकल्प सही न हो।

(iv) यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।

(v) कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।

(vi) अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाये।

(vii) प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में पी.ई.बी. अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

<u>उदाहरण 01</u> :- यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी,

$$\frac{90 \text{ x } 100}{(100 - 2)} = 91.83$$

<u>उदाहरण 02</u> :- यदि किसी 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 148 प्रश्नों में 140 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{140 \text{ x } 150}{(150 - 2)} = 141.89$$

<u>उदाहरण 03</u> :- यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 190 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी।

$$\frac{190 \text{ x } 200}{(200 - 2)} = 191.91$$

नोट :- सभी गणना को दशमलव के दो अंकों तक की जायेगी ।

(आदेश क्र. पी.ई.बी. / 5-प-1/48/5279/2016 भोपाल दिनांक 29.08.2016 के अनुसार)

2.8 ब. परीक्षा में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजशन पद्धति :–

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के आदेश क्र. पी.ई.बी./प-1/11/22-2016/4839/2016 भोपाल, दिनांक 04.08.2016 के अनुसार पी.ई.बी. द्वारा आयोजित परीक्षाऐं, जिसमें परीक्षा

आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है तो उन परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम नार्मोलाईजेशन पद्धति से तैयार किया जावेगा। जिसका सूत्र निम्नानुसार है:-

Normalized Mark of j^{th} candidate in i^{th} session $\widehat{M}_{ij}$ is given by:

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_t^g - M_q^g}{\bar{M}_{ti} - M_{iq}}(M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

where,

M_{ij} **is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th}**

$\bar{M}_t^g$ **is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions**

M_q^g **is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions**

$\bar{M}_{ti}$ **is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session**

M_{iq} **is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session**

(नार्मोलाइजेशन पद्धति के बारे में जानने के लिए पी.ई.बी. की वेबसाईट देखे)

2.9 प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदनः–

(i) प्रश्नपत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर पी.ई.बी. कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

(ii) बिन्दु क्रमांक 2.8 अ अनुसार पी.ई.बी. द्वारा प्रश्न-पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम "की" (अंतिम उत्तर) तैयार की जायेगी ।

(iii) अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

2.10 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :–

बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाईन परीक्षाओं में यू.एफ.एम./पररूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी नियमावली निर्धारित की जाती है:-

(अ) <u>अनुचित साधन (Unfair means)/ यू.एफ.एम. (UFM) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में</u>

1. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबिल, नकल पर्चा /Rough Papers/Loose Paper Slip इलेक्ट्रानिक घडी एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा।

2. परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफसी करना, ईशारे करनाव अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क करना ।

3. प्रतिबंधित सामग्री पाये जानेपर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना अथवा उपयोग करने पर यूएफएम प्रकरण दर्ज होगा ।

4 नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना ।

5. सक्षम अधिकारी के निर्देशो की अवहेना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना ।

6. सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना ।

7. परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना,धमकाना या शारीरिक चोट पहुॅचाना ।

8. परीक्षा कक्ष में मोबाईल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग करना ।

9. ऐसे यूएफएम प्रकरण जिनमें अभ्यर्थी के साथ अन्य व्यक्तियों की संलिप्ता प्रकट होती है ।

10.उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का अन्य ऐसा कोई कार्य, क्रियाकलाप, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो ।

यूएफएम प्रकरणो में बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में विधिवत जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है, जिसे पृथक लिफाफे में नकल सामग्री/साक्ष्य सहित सीलबन्द किया जावे । उपरोक्त मेंसे किसी भी कृत्य के आधार पर अथवा क्रियकलाप/गतिविधियों में अभ्यर्थी की अपराधिक संलिप्ता होने पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जावेगी ।

(ब) <u>पररूपधारण **(IMPERSONATION)** के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों के संबध में</u>

1.अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना/परीक्षा में शामिल होने का प्रयास करना, यह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कत्य विधिके अनुसार अपराध है । ऐसे में अभ्यर्थी में विरूद्ध यूएफएमप प्रकरण दर्ज करते हुये परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा एफआईआर भी दर्ज करायी जावेगी । ऐसे अपराध के लिए आवेदककर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

2. विभाग द्वारा आयोजित दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते है, तो विभाग उक्त अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर पी.ई.बी. को अवगत कराया जायेगा ।

पी.ई.बी. द्वारा इस प्रकार के समस्त प्रकरणों को बोर्ड स्तर पर गठित यू.एफ.एम. समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त, नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता/परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सकता है ।

2.11 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :-

(i) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

(ii) नियमपुस्तिका के अध्यायों में उल्लेखित नियमों के आधार पर पी.ई.बी. द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

(iii) संबंधित विभाग की अनुशंसा/निर्देश उपरांत परीक्षा परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर उपलब्ध कराया जावेगा ।

(iv) विभाग/विभागों को भेजी जाने वाली मेरिट लिस्ट पी.ई.बी. की वेबसाईट पर भी अपलोड की जाऐंगी ।

(v) अन्तिम कुंजी समिति की अनुशंसाऐं भी पी.ई.बी. की वेबसाईट पर अपलोड की जाऐंगी ।

3.12 परीक्षा परिणाम :-

(i) परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का परिणाम पी.ई.बी. की वेबसाईट www.peb.mp.gov.in पर अपलोड किया जायेगा।

(ii) तद्नुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणामका प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2.13 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल का कार्य लिखित परीक्षाओं का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :-

(i) परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पी.ई.बी. का होगा।

(ii) पी.ई.बी. अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं पी.ई.बी. द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

(iii) विभाग द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में पी.ई.बी. परीक्षा के अन्य चरणों के परिणामों को समेकित कर अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित करेगा ।

(iv) अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख पी.ई.बी. द्वारा जारी आदेश क्र. पी.ई.बी./2/स्था./11-38/2006/08/6473/2016 दिनांक 19.10.16 में उल्लेखित अनुसार नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.14 न्यायिक क्षेत्राधिकार :- परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत रहेगा ।

<u>खण्ड-ब</u>

2.15 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा:-

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र **प्रारूप-02** अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा ।

(ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी/दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ्डा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।

2.16 ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

(i) आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी को प्रपत्र **प्रारूप-02** अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा । जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

(ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होगें। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।

(iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।

(v) उपरोक्त मांपदड के फोटोग्राफ संलग्न नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(vi) फोटोग्राफ <u>आवेदन भरने की तिथि</u> से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा <u>फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।</u> यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी ।

(vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अत: ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णत: स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(x) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

2.17 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा:-

(i) पोर्टल पर द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये ।

(ii) कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्केन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।

(iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।

(iv) अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिखित आवेदन पर पीद्वारा विचार .बी.ई. | नहीं किया जायेगा

(v) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2.18 <u>ऑनलाईन आवेदन भरने के संबंध में निर्देश :</u>

(i) आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ii) **आवेदक को आवेदन पत्र में शरीर के स्थायी चिन्ह तथा परीक्षा के समय प्रस्तुत किये जाने वाले फोटो पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा।**

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iv) आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णाक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।

(v) **आनलाईन आवेदन पत्र में आवेदक का अपना आधार कार्ड क्रमांक** /आधार V ID **अनिवार्यत: अंकित किये जाने का प्रावधान रखा है । इसके उपयोग से**

1. परीक्षा के ठीक पूर्व रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जावेगा।
2. चयनित अभ्यर्थियों का Biometric Data संबंधित विभागों को हैश कोडेड सीडी में उपलब्ध कराया जायेगा । विभिन्न विभागों द्वारा यह Biometric सत्यापन स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा ।

(vi) पहचान पत्र के मीनू मे पी.ई.बी. द्वारा अधिमान्य पहचान पत्र का प्रावधान रखा गया ।

2.19 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.आनलाईन की **वेबसाईट** www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।

(ii) इसके अतिरिक्ति स्वंय के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित बेवसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।

(iii) सीधी भर्ती-बैकलॉग के रिक्त पदों हेतु अभ्यर्थियो द्वारा कोई परीक्षा शुल्क देय नही होगा।

(iv) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

2.20 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

(अ) इंटरनेट केफे द्वारा (क्योस्क)

(ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

(i) आवेदक वेबसाईट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत

Application क्लिक कर

PEB लिंक में

परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **निर्देश/Instructions** तथा परीक्षा **नियम/Examination Rules** उपलब्ध होंगे।

(ii) निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

(v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।

(vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

(अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड (सभी बैंको के)

(ब) इंटरनेट बैंकिंग

2.21 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:-

(i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

(ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

(iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.22 इंटरनेट बैकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :-

(i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।

(ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.23 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

2.24 निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था

(i) ऑनलार्ईइन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगी:-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

(ii) उक्त सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

(iii) संशोधन हेतु निर्धारित तिथियों की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा।

(iv) उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी।

(v) परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से अनारक्षित का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेंष राशि का भुगतान करना होगा।

(vi) संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम एवं जन्मतिथिमें किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी।

(vii) संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन

आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(viii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, बोर्ड आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

(ix) संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी. द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी. द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2.25 एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने संबंधी निर्देश :-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा आधार नम्बर नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते है ? यदि आवेदक द्वारा "हॉ" विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा।

(ii) अभ्यर्थी द्वारा विकल्प "हॉ" का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।

(iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुन: शुल्क का भुगतान करना होगा।

(iv) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी ।

2.26 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

(i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण पी.ई.बी स्तर पर भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पूर्व एम.पी.ऑनलाईन द्वारा यह परीक्षण किया जाएगा ।

(ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(iii) इस संबंध में पी.ई.बी द्वारा कोई भी पत्राचार नही किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2.27 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 6720200 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2.28 परीक्षा के प्रश्न पत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम नियमपुस्तिका के पृथक अध्याय में दिया गया है।

2.29 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 3-17/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2014 के अनुसार आदेशित किया गया है कि बोर्ड के माध्यम से चयन सूची जारी होने के दिनांक से अधिकतम 03 माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकरण में वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि ऐसे प्रकरण परिलक्षित होते हैं तो इसके जिम्मेदार विभाग प्रमुख होंगे ।

2.30 पुन:गणना/पुनर्मूल्यांकन

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात **पुन:गणना/पुनर्मूल्यांकन** का प्रावधान नहीं है । अभ्यर्थी के किसी भी प्रकार के आवेदन पर पी.ई.बी द्वारा विचार नही किया जायेगा तथा अभ्यर्थी के पत्र को नस्तीबद्ध करते हुये पी.ई.बी द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया जायेगा ।

2.31 अभ्यर्थी द्वारा जानकारी/समस्या के लिए टोल फ्री नम्बर 18002337899 पर सम्पर्क किया जा सकता है साथ ही परीक्षा सम्बन्धी कोई भी शिकायत पी.ई.बी. की E-mail ID “complain.peb@mp.gov.in” पर भेज सकते है ।

खण्ड-स

2.32 आवेदन पत्र भरने की समयावधि

ऑनलाईन आवेदन पत्र			ऑनलाईन आवेदन में संशोधन		
भरने की प्रारंभिक तिथि	भरने की अंतिम तिथि	भरने के कुल दिवस	करने की प्रारंभिक तिथि	करने की अंतिम तिथि	करने के कुल दिवस
10.11.2020	24.11.2020	**15**	10.11.2020	29.11.2020	20

2.33 आनलाईन परीक्षा का विवरण

स.क्रं.	पाली	दिनांक	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	**प्रथम**	**10-13 फरवरी 2021**	03 **घंटे**	**प्रात**: 09:00 **से** 12:00 **तक**	200
2	**द्वितीय**			**दोपहर** 02:00 **से** 05:00 **तक**	200

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कम्प्यूटर के माउस की सहायता से काला करना होगा।

2.34 (i) **परीक्षा शुल्क :-**

स.क्र.	**प्रश्नपत्रों की संख्या**	**अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये**	**अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)**	**नि:शक्तजन अभ्यर्थियों के लिये (म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)**	**आवेदन पत्र जमा करने के लिये एम.पी ऑन लाईन का पोर्टल शुल्क**	**सीधी भर्ती बैकलॉग के अभ्यर्थियों के लिये**
01.	**एक**	500/-	250/-	250/-	कियोस्क के माध्यम से भरने पर 60/- कियोस्क के माध्यम से न भरने पर 20/-	**निरंक**

(ii) **संशोधन किये जाने पर देय शुल्क**

स.क्र.	**प्रश्नपत्रों की संख्या**	**आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर शुल्क**	**आवेदन पत्र में प्रत्येकवार संशोधन किये जाने पर पोर्टल शुल्क**
01.	**एक**	20/-	40/-

2.35 **परीक्षा शहर :-**

लिखित परीक्षा निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी । मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरो/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है। परीक्षा आनलाईन पद्धति से आयोजित है अत: परीक्षा शहर एवं परीक्षा केन्द्रो की उपलब्धता के अनुरूप अभ्यर्थियों को भी वांछित परीक्षा शहर के स्थान पर अन्य परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है ।

आनलाईन परीक्षा केन्द्र					
1. भोपाल	2. इन्दौर	3. जबलपुर	4. ग्वालियर	5. उज्जैन	6. नीमच
7. रतलाम	8. मंदसौर	9. सागर	10. सतना	11. खंडवा	12. गुना
13. दमोह	14. सीधी	15. छिंदवाड़ा	16. बालाघाट		

<u>खण्ड-द</u>

ऑनलाईन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश

2.36

(i) परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित रिपोर्टिग समय पर अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है।

(ii) परीक्षा तिथि पर परीक्षा केन्द्र में अभ्यथी आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा । अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।

(iii) बायोमेट्रिक के अतिरिक्त अभ्यर्थी को टी.ए.सी. के द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य है।

(iv) पी.ई.बी की वेबसाईट पर अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाईन परीक्षा के मॉक टेस्ट की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसका उपयोग कर आवेदक परीक्षा पूर्व, परीक्षा प्रक्रिया का अभ्यास कर सकता है।

(v) पी.ई.बी. कार्यालय में भी आवेदक के लिये ऑनलाईन परीक्षा प्रक्रिया के अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

(vi) अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान प्रत्येक प्रश्न के लिये उपलब्ध चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन उत्तर अंकित करने के लिये अनिवार्य होगा।

(vii) पी.ई.बी. की वेबसाईट पर परीक्षा समाप्त होने के अगले दिवस प्रश्न पत्र एवं मॉडल उत्तर प्रदर्शित किये जायेगे जिसके आधार पर आवेदक प्रश्न एवं उनके उत्तर विकल्पों के संबंध में अपना अभ्यावेदन नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकेगा।

(viii) अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त अंतिम उत्तर कुंजी (आदर्श उत्तर) तैयार किये जायेगे। जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर घोषित किया जाएगा।

(ix) ऑनलाईन आवेदक उपयोगर्ता पहचान और पासवर्ड के द्वारा ही ऑनलाईन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते है । अत: आवेदक उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड आवश्यकरूप से संभाल कर रखे जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।

(x) परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट मे किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों के स्कोर का Normalisation करने का प्रावधान पी.ई.बी. के पास सुरक्षित रहेगा ।

(xi) नियम पुस्तिका में परीक्षा आयोजन का समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है ।

(xii) परीक्षा आयोजन की निर्धारित तिथि में परिस्थिति अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है तथा परीक्षा का आयोजन निर्धातर तिथि के पूर्व या पश्चात भी किया जा सकेगा ।

(xiii) अभ्यर्थी को केवल मूल फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी । ई-आधार कार्ड का प्रिन्ट आउट यु.आई.डी.ए.आई.(UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा ।

(xii) परीक्षा में निर्धारित रिपोटिंग समय के पश्चात आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

अध्याय - 04

पाठ्यक्रम

कुल अंक - 200

प्रश्नपत्र का विवरण :

सं. क्र.	विषय	अंक
1	सामान्य ज्ञान	100
2	सामान्य हिन्दी	
3	सामान्य अंग्रेजी	
4	सामान्य गणित	
5	सामान्य विज्ञान	
6	सामान्य अभिरूचि	
7	संबंधित विषय पर आधारित	100
	कुल अंक	200

Syllabus Of Agriculture For R.A.E.O.

1. General Agriculture

Agriculture and its importance in national economy.

2. Agronomy

Major Crops of MP, Agrotechniques of major field crops of MP.

Farming systems and sustainable Agriculture.

Introductory Agro Meterology, Agro-climatic and Agro-ecological zones .

3. Soil Science

Soil and its composition and its role in crop production, physical, Chemical, and biological properties of soil. Essential plant nutrients, their function and dynamics. Integrated nutrient management, Problem soils and their management.

4. Soil and water conservation, Watershed management

5. Plant Physiology

Absorption, translocation and metabolism of nutrients, Photosynthesis and respiration, Growth and development, growth regulators.

6. Crop Improvement

Elements of genetics and plant breeding as applied to crop improvement.

7. Horticulture

Package of practices of important fruit vegetable Spices and economically important flowering plants, Nursery management and propagation methods of horticultural crops. Problems (unfruitfulness, alternate bearing, fruit drops etc.) and physiological disorders and their management. Post-harvest
management and value addition of fruits and vegetables.

8. Plant Protection

Important insect pests and diseases affecting important crops and their management. Components of integrated pest and disease management. Spray equipments, their selection and maintenance. Rodent management. Safety precautionary measures during pesticide usage.

9. Agricultural Economics

Meaning, principles of economics as applied to agriculture, Farm planning and resource management for optimal production. Farming systems and their economic role. Marketing of agricultural produce and regulated markets in MP including initiatives like (e -chaupal) Price of agricultural produce and its role in agricultural production.

10. Agricultural Extension Education

Philosophy, objectives and principles of extension. Extension organizations at the state, district and block levels, their structure, functions and responsibilities. Methods of communication. Role of farmer's organizations in extensions services. Role and importance of trainings. Important rural development programmes in India.

Syllabus Of Agriculture For S.A.D.O.

1. Agriculture, its importance in national economy, agro-climatic and agro-ecological zone, geographic distribution of crop plants. Agriculture heritage, Sustainable agriculture.
2. Important crop of India and M.P. Package of practices for cultivation of cereal, Pulses, oilseeds, Sugar, Fiber and forage crops; Different cropping systems, Farming system, Crop rotations, multiple and relay cropping, intercropping, mixed cropping and sequence cropping. Integrated crop management, Geoinformatics, Nano technology and precision farming
3. Crop weather relationship, floods, Cold waves and frosts, Meteorological services to agriculture. Climate change and climate resilient agriculture, Remote sensing, contingent crop planning.
4. Soil as a medium for plant growth and its Composition, minerals and organic constituents of the soil and their role in crop production, Soil types of India and M.P. Chemical, Physical and microbiological properties of soils, Essential plant nutrients, their functions and deficiency symptoms, Occurrence and Cycling in soils, Straight, complex and mixed fertilizers and bio-fertilizers manufactures and marketed in India, Integrated nutrient management for plant. Management of problem soils such as saline, alkali and

acid soils. Soil and water management Irrigation methods, soil erosion, its causes and control measures, Rain Water conservation; Watershed development, Rainfed farming principles and practices.

5. Bio-chemistry/Physiology/Microbiology/Environmental Sciences:
   Fundamentals of Plant biochemistry and biotechnology, fundamentals of crop physiology, agricultural microbiology, environmental studies and Disaster management ,Introduction to forestry.
6. Elements of genetics and plant breeding as applied to improvement of crops, development of plant hybrids and composites, important hybrid and composites varieties of crops.
7. Important fruits and vegetable crops of M.P. and India, their package of practices Crop rotation, intercropping and companion crop. Role of fruits and vegetables in human nutrition. Post harvest management and value addition of fruits and vegetables.
8. Integrated weed management(IWM), Serious weeds and their control.
   Principles of plant protection measures integrated control of pests and diseases. Pests and diseases affecting major crops. Storage pests management, rodents managements.
9. Principles and objective of surveying. Contouring, Farm development, land capability classification, Farm machinery and equipments. Bullock drawn and power driven Farm implements, Mechanization and its relevance and scope in India. Seed bed preparation land shaping, seeding and intercultural tools or equipments, plant protection equipments, harvesting and threshing machines, post harvest machinery, Care and maintenance before and after use of farm implements and machinery. Protected cultivation and secondary agriculture.
10. Economics with reference to agriculture Farm planning and management for enhanced production, Factors of Crop production and production relationships, marketing of agricultural produce and regulated markets in M.P. Price of agricultural produce and its role in agricultural development. Impact of economic reforms on agriculture business. Principle and objectives of agricultural extension. Extension organization at the district and block levels, their structure, functions and responsibilities. Methods of Communication role of farm organizations in extension services. Women in agriculture, Women entrepreneur, Women empowerment; Opportunities for agriculture entrepreneurship and Rural enterprise.

(के.एस. यादव)
उप संचालक (स्था.)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश भोपाल

प्रश्नों/आदर्श उत्तरो पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन

(देखें नियम 2.08 एवं 2.09)

(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
परीक्षा का दिनांक	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
परीक्षा की दिनांक	
परीक्षा का समय/शिफ्ट	
परीक्षा का शहर	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	

पी.ई.बी. की वेबसाईट पर प्रदर्शित उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र में निम्न प्रश्न/उत्तर निम्नलिखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

स. क्र.	विषय	प्रश्न क्रमांक	प्रश्न में त्रुटि का विवरण	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यर्थी के अनुसार उत्तर	प्रश्न/उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है ।

आवेदक के हस्ताक्षर...

आवेदक का नाम एवं पता ....

....

....

दूरभाष क्रमांक...

दिनांक..

Professional Examination Board

प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड

Predefined Template

फोटो / Photo

4” x 5” सेमी फोटो
यहाँ चिपकाये
4” x 5” cm photo
paste here

Box-1

हस्ताक्षर / Signature

Box-2

निर्देश / Instruction)हस्ताक्षर / Signature)

- (i)अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स–2 के अंदर करें, (ii) अँग्रेजी के कैपिटल अक्षरों e: vFkok vxzth d: y/k gLrk{kj ekU; ugh gk:x A (iii) एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे
- (i) Do your full signature within box-2, (ii)signature in capital letter or Short is not allowed(iii) more than 1 signature will be invalid

निर्देश / Instruction(फोटो / Photo)

फोटोग्राफके निचले हिस्से पर फोटो खिचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिएतथा यह आवेदन करने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए

- Photograph of the candidate should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photographandit should not old more than 3 months from application date

स्व-घोषणा / Self-declaration:

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वाराआवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर परझूठीया पात्रता मापदंडकी आवश्यकताओं अनुसारसंतोषजनकनहींपाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारीरद्दकी जा सकती हैं।

अथवा / Or

I hereby declare that all statements made in this application are true to the best of my knowledge and belief. If any information being found false at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the requirements, my candidature is liable to be cancelled.

स्व-घोषणा / Self-declaration

(ऊपर दिए गए घोषणा कोबॉक्स-3 के अंदरअपने लेखन में कॉपी करें/ Copy in your running hand writingin box-3, the declaration given above)

Box-3

प्रारूप-3

भुगतान प्राप्त करने के लिये स्वयं के बैंक खाते का विवरण

1. परीक्षा का नाम : ....
2. परीक्षा की तिथि/पॉली/समय : ....
3. परीक्षा केन्द्र का नाम : ....
4. परीक्षार्थी का नाम (हिन्दी में) : ....
   (जैसा बैंक खाते में है)
5. परीक्षार्थी का नाम (अंग्रेजी में) : ....
6. परीक्षार्थी का रोल न. : ....
7. बैंक का नाम : ....
8. बैंक शाखा का नाम : ....
9. बैंक का IFS Code : ....
10. बैंक खाता क्रमांक : ....
11. परीक्षार्थी गृह जिला : ....
12. गृह जिले से परीक्षा केन्द्र की दूरी : ....
13. यात्रा का प्रकार : ....
14. यात्रा व्यय की राशि : ....
15. पत्र व्यवहार का पता : ....
16. ई-मेल : ....
17. फोन न. : ....

संलग्न :-

1. बैक पास बुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति (प्रथम पृष्ठ) ।
2. यात्रा के दौरान उपयोग किये गए टिकिट (मूल प्रति) ।
3. जाति/ द्वियांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
4. टीएसी के प्रथम भाग की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।

दिनांक.....................................

हस्ताक्षर

निवास का पूर्ण पता

....

....

....

प्रति,

....

....

....

<u>सहमति प्रमाण-पत्र</u>

(1) प्राफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास म. प्र. भोपाल के अन्तर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी (कार्यपालिक) पदो हेतु भर्ती परीक्षा-2020 के आयोजन के लिए नियम पुस्तिका तैयार की गई है। नियम पुस्तिका में उल्लेखित समस्त नियमों एवं अध्यायों में उल्लेखित जानकारियों से तथा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र की **नियम पुस्तिका** में दी गई शैक्षणिक योग्यता मान्य करते हुए विभाग के द्वारा सहमति प्रदान की जाती है।

(2) विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 147/904/2014/आ.प्र./एक/ भोपाल, दिनांक 13/02/2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिक हेतु नियमानुसार आरक्षण प्रदाय किया गया है।

(3) मण्डल के आदेश क्रमांक/127/व्यापम/प-1/482/2009 भोपाल, दिनांक 29 जनवरी, 2010 के अनुसार सीधी भर्ती बैकलॉग के पदों हेतु मण्डल द्वारा निर्धारित की गई शुल्क को विभाग द्वारा दिये जाने के संबंध में सहमति प्रदान की जाती है।

(4) रोस्टर में अनुसूचित जाति/ जनजाति/अ.पिछडा वर्ग/संविदा कर्मचारियों/ ई. डब्लू. एस./ द्विव्यांग / महिला एवं सैनिको के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान रखा गया है ।

(5) विभाग के पदों की आरक्षण तालिका में सहमति के उपरान्त आरक्षण तालिका में अनुसूचित जनजाति के पदो को छोडकर किसी भी प्रकार संशोधन नहीं किया जावेगा । सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी आदेश अनुसार बैगा, सहारिया एवं भारिया जाति के अभ्यर्थियों की भर्ती उपरान्त अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में ही संशोधन स्वीकार किये जावेंगे ।

(6) विषम परिस्थिति में परीक्षा आयोजन उपरांत विभाग के किसी पद विलोपित अथवा परीक्षा निरस्त करवाने पर संबंधित विभाग को परीक्षा के संपूर्ण व्यय (यथा प्रति अभ्यर्थी पी.ई.बी. द्वारा किया गया परीक्षा का व्यय, अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क , विज्ञापन में हुआ व्यय इत्यादि) का वहन करना होगा ।

नियम पुस्तिका में दी गई किसी भी जानकारी के संबंध में किसी भी विवाद आदि के लिए विभाग स्वंय जवाबदेह होगा। तैयार नियम पुस्तिका के अनुसार परीक्षा आयोजन में विभाग को कोई आपत्ति नही है तथा परीक्षा आयोजन के संबंध में विभाग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

तद्नुसार यह सहमति प्रमाण पत्र सत्यापित/हस्ताक्षरित कर प्रदान किया जाता है।

Hkksiky] fnukad %

lR;kiudrkZ vf/kdkjh ds gLrk{kj

uke %&---

inuke %&---

lhy %&---

ekckbZy u- %&---

bZ esy%&---